"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016—— चैत्र 17, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (29). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/4/2007/वाक/पांच (3), दिनांक 19–01–2007 तथा एफ–10/111/2007/वाक/पांच (50), दिनांक 12–09–2008 को, दिनांक 01–04–2016 से रद्द करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच(29). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (29) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-18/2016/CT/V (29). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, rescinds this department's notifications No. F-10/4/2007/CT/V (3) dated 19-1-2007 and F-10/111/2007/CT/V (50) dated 12-9-2008 with effect from 01-04-2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (30). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/28/2006/वाक/पांच (16), दिनांक 30–3–2006; एफ–10/24/2006/वाक/पांच (29), दिनांक 12–4–2006; एफ–10/64/2006/वाक/पांच (56), दिनांक 14–6–2006; एफ–10–27/2008/वाक/पांच (19), दिनांक 28–3–2008; एफ–10/64/ 2008/वाक/ पांच (53), दिनांक 27–9–2008; एफ–10/03/2009/वाक/पांच (08), दिनांक 27–1–2009; एफ–10/23/2011/वाक/पांच (23B), दिनांक 31–3–2011; एफ–10/11 /2013/वाक/पांच (17), दिनांक 28–3–2013 तथा एफ–10/40/2014/वाक/पांच (31), दिनांक 4–3–2014 में, कर के भुगतान से छूट की कालावधि के संबंध में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो दिनांक 1.4.2016 से प्रभावी होगा, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में,–

अंक ''2016'' के स्थान पर, अंक ''2017'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (30). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (30) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Nays Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-18/2016/CT/V (30). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's notifications number F-10/28/2006/CT/V (16), dated 30-3-2006; F-10/24/2006/CT/V (29), dated 12-4-2006; F-10/64/2006/CT/V (56) dated 14-6-2006; F-10-27/2008/CT/V (19), dated 28-3-2008; F-10/64/2008/CT/V (53), dated 27-9-2008; F-10/ 03/2009/CT/V (08), dated 27-1-2009; F-10/23/2011/CT/V (23B), dated 31-3-2011; F-10/11/2013/CT/V (17), dated 28-3-2013 and F-10/40/ 2014/CT/V (31), dated 4-3-2014, in relation to the period of exemption from payment of tax, with effect from 1-4-2016, namely:—

AMENDMENT

In the said notifications,-

For the figure "2016", the figure "2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

कमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (31). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात्:–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	नारियल	–
2.	आटा, मैदा, सूजी, बेसन, चुनी, चोकर तथा दलिया	–
3.	चपड़ा, लाख एवं कित्ती	–
4.	कोसा यार्न तथा सभी प्रकार के कुकून	–
5.	फ्लाई–ऐश ब्रिक्स	–
6.	सेंवई	–
7.	बायो–फ्यूल्स	–
8.	केरोसिन विक (बत्ती) एवं केरोसिन स्टोव	–
9.	भुने चने	
10.	कपूर	–
11.	गाय के गोबर, गो मूत्र एवं पंचगव्य से निर्मित समस्त उत्पाद	–
12.	सुगंधित एवं औषधीय पौधों का अर्क (तेल)	जब छत्तीसगढ़ राज्य में कृषक द्वारा स्वयं उत्पादित पौधों से अर्क निकाला जाये और विक्रय किया जाए
13.	साबूदाना, राजगीरा, मगज, तिखुर, फाफर एवं सिंघाड़ा	–
14.	राल, धूप, मौली, कमलगट्टा, चंदन, जनेऊ, दशांग, हवन लकड़ी, गुग्गुल, चंदन–चूरा, भोजपत्र, लोभान, गंगाजल	–
15.	प्लास्टिक के जूते चप्पल, जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु. 250/– से अधिक न हो	–
16.	लालटेन तथा लालटेन के स्पेयर पार्ट्स	–
17.	थैलोसीमिया के उपचार की दवा डिफेरासिरॉक्स	–
18.	छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित रु. 10 खुदरा मूल्य तक की नेल पॉलिश	–
19.	"फ्री–डेज" सेनेटरी नेपकीन	जब इसका विक्रय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वितरण हेतु किया जाए
20.	फ्लाई–ऐश से निर्मित ब्लॉक्स, हॉलो ब्रिक्स, पेवर्स और पेविंग ब्लाक्स	–
21.	बैटरी–चलित इलेक्ट्रिक मोटरयान	–

22.	सौर ऊर्जा उपकरण एवं संघटक (कम्पोनेन्ट)	—
23.	पुराने मोटरयान	जब ऐसे वाहन पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत कर लग चुका हो
24.	सोयाबीन	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी को विक्रय किया जाए
25.	ट्रैक्टर की ट्रॉली	—
26.	अगरबत्ती एवं धूप	1. जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाए; 2. निर्माता अथवा पुर्नविक्रेता, यह अधिकथित करते हुए, बिल अथवा बीजक अथवा कैश मेमो जारी करेगा कि "विक्रित माल, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित है।"
27.	प्रीकास्ट, प्रीफैब्रिकेटेड व मोनोलिथिक कांक्रीट उत्पाद	(एक) जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा, नीचे दिए गए प्ररूप में घोषणा पत्र के विरुद्ध, इस आशय हेतु किया जाए कि क्रय किये गये माल का उपयोग भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बनाए गए "अफोर्डेबल– हाऊसिंग– इन– पार्टनरशिप योजना के दिशा–निर्देश" (दिसम्बर 2013) के अधीन रिहायशी आवास निर्माण के लिए है; (दो) विक्रेता व्यापारी उक्त घोषणा पत्र, प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा; (तीन) यदि क्रय किये गये माल के घोषणा पत्र में वर्णित प्रयोजन से भिन्न उपयोग या व्ययन पाया जाता है, तो क्रेता व्यापारी पूर्ण दर पर देय कर और रियायती दर पर देय कर के अंतर की राशि तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 19 की उप–धारा (4) के उपबंधों के अनुसार ब्याज के भुगतान का दायी होगा।
28.	सुपरस्ट्रक्चर सहित बायो–टॉयलेट, एवं इसके संघटक (कम्पोनेन्ट्स)	(एक) जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाए;

		(दो) निर्माता अथवा पुनर्विक्रेता, यह अधिकथित करते हुए बिल अथवा बीजक अथवा कैश मेमो जारी करेगा कि "विक्रित माल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित है।"
29.	फ्लाई–ऐश से निर्मित टाईल्स तथा पेवर्स	–
30.	सभी प्रकार के कपड़े (हैसियन क्लॉथ को छोड़कर)	–
31.	शक्कर एवं खांडसारी (मिरी, चिरौंजी, इलायची दाना और बताशा को छोड़कर)	–

घोषणा–पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

1. मैं .... (व्यापारी का नाम), ... (पता) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन) .... का धारक व्यापारी, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं, कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन) .... धारक व्यापारी से किया है।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा क्रय किये गये प्रीकास्ट, प्रीफेब्रिकेटेड या/और मोनोलिथिक कांक्रीट उत्पाद का उपयोग भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बनाए गए "अफोर्डेबल–हाऊसिंग–इन–पार्टनरशिप योजना के दिशा–निर्देश" (दिसम्बर 2013) के अधीन, रिहायशी आवास निर्माण के लिए है।

3. मेरे द्वारा क्रय किया गया माल पंजीयन प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट है और उक्त माल के क्रय दिनांक को पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रभावशील था।

क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय बिल/इन्वॉईस/कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये)
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			योग–	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये ....(शब्दों में) रुपये .... मात्र।

स्थान ....

दिनांक .... व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (31). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (31) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-18/2016/CT/V (31). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax in whole, subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule, for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Class of Goods	Restrictions And Conditions
(1)	(2)	(3)
1.	Coconut	-
2.	Atta, maida, semolina (sooji), besan, chuni, choker and porridge	-
3.	Shellac, lacquer and kitti	-
4.	Kosa yarn and all kinds of cocoons	-
5.	Fly-ash bricks	-
6.	Vermicelli (sewai)	-
7.	Bio-fuels	
8.	Kerosene wig (batti) and kerosene stove	-
9.	Parched grams	-
10.	Camphor	-
11.	All products manufactured from cow dung (gobar), cow's urine (gomutra) and panchgavya	-
12.	Extract (oil) of scented and medicinal plants	When abstracted and sold by formers within State of Chhattisgarh from his own plants
13.	Sago (sabudana), amaranth (rajgira), magaj, Indian arrowroot (tikhur), phaphar and trapa (singhada)	-
14.	Rall, Dhoop, mouli, kamalgatta, chandan, janeu, dashang, hawan wood, guggul, chandan choora, bhojpatra, lobhan, gangajal	-
15.	Footwear made of plastic, the maximum retail sale price of which does not exceed Rupees two 250	-
16.	Lantern and spare parts of lantern	-
17.	Deferasirox drug for treatment in thalassemia	-

18.	Nail polish upto retail price of Rupees 10 manufactured in the State of Chhattisgarh	-
19.	"Free-days" sanitary napkin	When sold for distribution by Government of India, Health and Family Welfare Ministry for women of rural area
20.	Blocks, hollow bricks, pavers and paving bloks manufactured from fly-ash	-
21.	Battery-operated motor vehicle	-
22.	Solar power equipment and components	-
23.	Second-hand motor vehicle	When such vehicle has suffered tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)
24.	Soyabean	When sold to a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)
25.	Trolley of tractor	-
26.	Agarbatti and dhoop	1. When such goods are manufactured by an industrial unit situated in the State of Chhattisgarh; 2. Manufacturer or reseller shall issue a bill or invoice or cash memo stating that "The goods sold are manufactured by industrial unit situated in the State of Chhattisgarh."
27.	Precast, pre-fabricated and monolithic concrete products	(i) When the goods specified in column (2) are sold by a dealer registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), against a declaration in this form given below, to the effect that the goods being purchased are for use in construction of residential housing under the "Scheme of Affordable Housing in Partnership Guidelines" (December 2013), framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation of the Government of India; (ii) The selling dealer shall submit the said declaration within 30 days of the end of each quarter; (iii) If the goods being purchased on declaration are found to be used or disposed of for purpose other than that described therein, the purchasing dealer shall be liable to pay the difference in the amount of tax payable at the full rate and that payable at the concessionary rate and interest as per the provisions of sub-section (4) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).
28.	Bio-toilet with superstructure, and its components	(i) When the goods are manufactured by an industrial unit registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005);

		(ii) Manufacture or reseller shall issue a bill or invoice or cash memo stating that "The goods sold are manufactured by an industrial unit situated in the State of Chhattisgarh."
29.	Tiles and pavers manufactured from fly-ash	-
30.	All varieties of cloth (excluding hessian cloth)	-
31.	Sugar and khandsari (excluding mishri, chironj, elaichi dana and batasha)	-

DECLARATION

(Under Commercial Tax Department Notification No. .... dated ....)

1. I, ... (name of the dealer), ... (address), a dealer holding registration certificate No. (TIN) .... under the Chhattisgarh Value added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), hereby, declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below, from .... (name and address of the dealer), a dealer holding registration certificate No. (TIN) .... issued under the said Act.

2. I further declare that the precast, pre-fabricated or/and monolithic concrete products being purchased for use in construction of residential housing under the "Scheme of Affordable Housing in Partnership Guidelines" (December 2013), framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation of the Government of India.

3. The goods being purchased are specified in the registration certificate and the registration certificate was in force on the date of purchase of the said goods.

Particulars of the goods purchased

Particulars of purchase bill/ invoice/ cash memo/challan		Description of goods purchased	Quantity	Value (Rupees)
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Total-	

Total value (in figures) Rupees. .... (in words) Rupees .... only.

Place ....

Date .... Signature & seal of the dealer

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (32). –– छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (4) में दी गई निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लघु वनोपज	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
2.	मिठाई तथा नमकीन	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
3.	घी	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
4.	छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्मित आयरन एंड स्टील सामग्री, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 (1986 का सं. 5) के टेरिफ आयटम 7308 में विनिर्दिष्ट है	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
5.	छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्मित मोटरयान की बॉड़ीज तथा ट्रेलर्स, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 (1986 का सं. 5) के टेरिफ आयटम 8704, 8707 या 8716 में विनिर्दिष्ट है	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
6.	पका अन्न (कुक्ड फुड)	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
7.	स्टील वायर मेश (स्टील तार से निर्मित जाली)	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
8.	गैस चूल्हा	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
9.	प्लाईवुड, लेमिनेट्स, पार्टिकल बोर्ड, हार्ड बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, मिडियम डेन्सिटी फायबर; एम डी एफद्ध बोर्ड, वेनिअर एवं इंसुलेटेड बोर्ड	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
10.	मोबाईल फोन के पार्ट्स तथा एक्सेसरीज	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
11.	अन–ब्रांडेड टोस्ट	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
12.	सुगंधित दूध (फ्लेवर्ड मिल्क), श्रीखंड पनीर तथा क्रीम	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–

13.	फूड कलर	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
14.	इंडक्शन कुकर	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
15.	एल.ई.डी. बल्ब एवं लाईट	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
16.	कम्प्यूटर में उपयोग होने वाले यू.पी. एस (अनइंटरेप्टेड पावर सिस्टम)	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
17.	मेडिसिनल ऑक्सीजन एवं नाईट्रस ऑक्साईड गैस	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
18.	पेट फूड	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
19.	लाईट डीजल ऑयल (L.D.O.)	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
20.	यू.पी.वी.सी. से निर्मित दरवाजे एवं खिड़कियां	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	1. जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाए; 2. निर्माता अथवा पुर्नविक्रेता, यह अधिकथित करते हुए, बिल / बीजक / कैश मेमो जारी करेगा कि "विक्रित माल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित है।"
21.	संयंत्र और मशीनरी	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए	(एक) जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा, नीचे दिए गए प्ररूप में घोषणा पत्र के विरुद्ध, इस आशय हेतु किया जाए कि क्रय किया गया माल, स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट में ऊर्जा अथवा विद्युत (पांवर) के उत्पादन में पूंजीगत माल के रूप में उपयोग के लिए है; (दो) विक्रेता व्यापारी उक्त घोषणा पत्र, प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा; (तीन) यदि क्रय किये गये माल के घोशणा पत्र

			में वर्णित प्रयोजन से भिन्न उपयोग या व्ययन पाया जाता है, तो क्रेता व्यापारी पूर्ण दर पर देय कर और रियायती दर पर देय कर के अंतर की राशि तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 19 की उप–धारा (4) के उपबंधों के अनुसार ब्याज के भुगतान का दायी होगा।
22.	इंडस्ट्रियल लुब्रिकेन्ट	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	(एक) जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित पंजीकृत औद्योगिक इकाई को, नीचे दिए गए प्ररूप में घोषणा पत्र के विरुद्ध, इस आशय हेतु किया जाए कि क्रय किया गया माल, स्वयं की औद्योगिक इकाई में औद्योगिक आगत के रूप में, निर्माण हेतु उपयोग के लिए है; (दो) विक्रेता व्यापारी उक्त घोषणा पत्र, प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा; (तीन) यदि क्रय किये गये माल के घोषणा पत्र में वर्णित प्रयोजन से भिन्न उपयोग या व्ययन पाया जाता है, तो क्रेता व्यापारी पूर्ण दर पर देय कर और रियायती दर पर देय कर के अंतर की राशि तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर

			अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) की धारा 19 की उप–धारा (4) के उपबंधों के अनुसार ब्याज के भुगतान का दायी होगा।
23.	इलेक्ट्रो–फोर्ज्ड ग्रेटिंग्स	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए	–
24.	इलेक्ट्रिकल पैनल एवं इसके कम्पोनेन्ट्स	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए	–
25.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (दो–घ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अन्य एविएशन टरबाईन फ्यूल	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए	–

घोषणा–पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

1. मैं .... (व्यापारी का नाम), ... (पता) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन) .... का धारक व्यापारी, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं, कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन) .... धारक व्यापारी से किया है।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :–

'(एक) मेरे द्वारा क्रय किया गया संयंत्र एवं मशीनरी, स्वयं के केप्टिव पावर प्लांट में ऊर्जा अथवा विद्युत (पावर) के उत्पादन में पूंजीगत माल के रूप में उपयोग के लिए है।

अथवा

'(दो) मेरे द्वारा क्रय किया गया इंडस्ट्रियल लुब्रिकेन्ट, मेरी स्वयं की औद्योगिक इकाई में, औद्योगिक आगत के रूप में निर्माण में उपयोग के लिए है।

3. मेरे द्वारा क्रय किया गया माल पंजीयन प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट है और उक्त माल के क्रय दिनांक को पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रभावशील था।

क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय बिल / इन्वॉईस / कैश मेमो / चालान का विवरण		क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये)
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			योग–	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये ....(शब्दों में) रुपये .... मात्र।

स्थान ....

दिनांक .... व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील

'जो लागू न हो उसे काट दें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (32). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–18/2016/वाक/पांच (32) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-18/2016/CT/V (32). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4), for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Minor forest produce	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
2.	Sweets and namkeen	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
3.	Ghee	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
4.	Articles of iron and steel manufactured in the state of Chhattisgarh, as specified in Tariff Item 7308 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986)	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
5.	Bodies for motor vehicles and trailers manufactured in the state of Chhattisgarh, as specified in Tariff Items 8704, 8707 or 8716 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986)	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
6.	Cooked food	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
7.	Steel wire mesh	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
8.	Gas stove (chulha)	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
9.	Plywood and laminates, particle board, hard board, block board, Medium Density	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-

	Fibre (MDF) board, veneer and insulated board		
10.	Parts and accessories of mobile phone	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
11.	Un-branded toast	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
12.	Flavoured milk, Shrikhand, paneer and cream	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
13.	Food colour	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
14.	Induction cooker	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
15.	L.E.D. bulb and light	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
16.	U.P.S (Un-interrupted Power System) used in computer	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
17.	Medicinal oxygen and nitrous oxide gas	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
18.	Pet food	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
19.	Light Diesel Oil (L.D.O.)	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
20.	Doors and windows made of UPVC	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	1. When such goods are manufactured by industrial unit situated in the State of Chhattisgarh; 2. Manufacturer / reseller shall issue a bill / invoice / cash memo stating that "the goods sold are manufactured by industrial unit situated in the State of Chhattisgarh."
21.	Plant and machinery	Partly, so as to reduce the rate of tax to 2 percent	(i) When the goods specified in column (2) are sold by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) against a declaration appended below, to the effect that the goods being purchased are for use as capital goods in own captive power plant for generation of energy or power; (ii) The selling dealer shall submit the said declaration within 30 days of the end of each quarter;

			(iii) If the goods being purchased on declaration are found to be used or disposed for purpose other than that described therein, the purchasing dealer shall be liable to pay the difference in the amount of tax payable at the full rate and that payable at the concessionary rate and interest as per the provisions of sub-section (4) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).
22.	Industrial lubricant	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	(i) When the goods specified in column (2) are sold by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) to a registered industrial unit situated in the State of Chhattisgarh , against a declaration appended below, to the effect that the goods being purchased are for use as industrial input, in own industrial unit for the manufacturing of goods; (ii) The selling dealer shall submit the said declaration within 30 days of the end of each quarter; (iii) If the goods being purchased on declaration are found to be used or disposed for purpose o ther than that described therein, the purchasing dealer shall be liable to pay the difference in the amount of tax payable at the full rate and that payable at the concessionary rate and interest as per the provisions of sub-section (4) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005).

23.	Electro-forged gratings	Partly, so as to reduce the rate of tax to 2 percent	-
24.	Electrical panel and its components	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent	-
25.	Aviation turbine fuel, other than that specified in clause (ii-d) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly, so as to reduce the rate of tax to 4 percent	-

DECLARATION

(Under Commercial Tax Department Notification No. .... dated.............)

1. I, ... (name of the dealer), ... (address), a dealer holding registration certificate no. (TIN) .... under the Chhattisgarh Value added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005), hereby, declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below, from .... (name and address of the dealer), a dealer holding registration certificate no. (TIN) .... issued under the said Act.

2. I further declare that,-
   (i) the plant and machinery being purchased are for use as capital goods in own captive power plant for generation of energy or power.

   Or

   (ii) the industrial lubricant being purchased is for use as an industrial input, in own industrial unit for manufacturing of goods.

3. The goods being purchased by me, are specified in the registration certificate and the registration certificate was in force on the date of purchase of the said goods.

Particulars of the goods purchased

Particulars of purchase bill/ invoice/cash memo/challan		Description of goods purchased	Quantity	Value (Rupees)
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Total-	

Total value (in figures) Rupees. ....(in words) Rupees. .... only.

Place ....

Date ....   Signature and seal of the dealer

*Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.